छत्तीसगढ़ शासन
पुनर्वास विभाग

राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति

वर्ष - २००५

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मंत्रालय

दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ ७-९७/पुनर्वास नीति/२००५/३६८१ रायपुर, दिनांक

-:: संकल्प ::-

राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार "राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति, २००५" घोषित करता है।

संलग्न :- राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति २००५

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

आर.सी. सिन्हा

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ ७-९७/पुनर्वास नीति/२००५/३६८२ रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः-

१. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़।

२. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़।

३. विशेष सहायक, समस्त मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन।

४. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।

५. शासन के समस्त विभाग।

६. सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

७. आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर।

८. राहत आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर।

९. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।

१०. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति

प्रस्तावना :-

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य क्रमशः विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में नयी विकास परियोजनाएं यथा - विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खनिज उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास आदि, क्रियान्वित हो रही है और अनेकों नई परियोजनाओं के प्रस्ताव विचाराधीन है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता होती है। बड़ी परियोजनाओं के लिए आबादी क्षेत्रों का पुनर्स्थापन भी आवश्यक होता है।

२. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य में कतिपय विभागीय पुनर्वास नीतियां तो प्रचलित थीं, किन्तु एक समग्र पुनर्वास नीति नहीं थी। वर्तमान में अलग-अलग सेक्टरों की परियोजनाओं के अंतर्गत की जाने वाली पुनर्वास व्यवस्था में एकरूपता का अभाव है। अतएव एक समग्र आदर्श पुनर्वास नीति बनाने की आवश्यकता है।

३. छत्तीसगढ़ राज्य की यह आदर्श पुनर्वास नीति उपर्युक्त आवश्यकता की पूति करेगी। इसके फलस्वरूप विकास परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के सुविधाजनक

पुनर्वास में तो मदद मिलेगी ही, समुचित पुनर्स्थापन होने से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को भी गति मिलेगी।

१. <u>उद्देश्य एवं मार्गदर्शी सिद्धांत</u> :-

१.१ <u>उद्देश्य</u> :- पुनर्वास नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न शासकीय तथा निजी संस्थानों की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे की परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिलने के साथ -साथ उनके रहने और रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो सके जो भूमि अधिग्रहण के पूर्व की स्थिति के समकक्ष अथवा बेहतर हो। इस हेतु पुनर्वास नीति में निम्नलिखित के संबंध में विशिष्ठ प्रावधान किए गए हैं :-

१.१.१ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को उनकी अधिग्रहित भूमि तथा अन्य अचल संपत्ति के लिए वैकल्पिक भूमि का आवंटन तथा/ अथवा वाजिब मुआवजे का वितरण विस्थापन के पूर्व सुनिश्चित करना।

१.१.२ परियोजना से प्रभावित ऐसे परिवारों को, जिनके आवासीय भवन अधिग्रहित हों, नए स्थान पर सुनियोजित बसाहट स्थापित कर उनके रहने की ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करना जो मूल सुविधा के समक्ष अथवा बेहतर हो।

१.१.३ परियोना से प्रभावित परिवारों को परियोजना में स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

१.१.४ परियोजना से प्रभावित ऐसे भूमिहीन परिवारों, जो कृषि से भिन्न धन्धे/ रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करते हों, के लिए यथासंभव उनके मूल धन्धे/ रोजगार की वैकल्विप व्यवस्था करना।

१.१.५ यह सुनिश्चित करना कि किसी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का ही अधिग्रहण किया जाए और यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन हेतु न हो तो जहां ऐसा करना विधि सम्मत हो, अधिग्रहित भूमि का मूल प्रयोजन या अन्य आवश्यक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके।

१.१.६ परियोजना से प्रभावित परिवारों/ व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था इस नीति के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास कार्य के पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग की व्यवस्था करना।

१.२ **<u>मार्गदर्शी सिद्धांत</u> :-** उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए की जाएगी।

१.२.१ यह नीति प्रकाशन के दिनांक से समस्त ऐसी परियोनाओं पर लागू होगी जिनमें प्रकाशन के दिनांक तक भू-अर्जन की कार्यवाही, अर्थात, अवार्ड पारित होने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

१.२.२ पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए राजस्व ग्राम तथा वन ग्राम में कोई अंतर नहीं किया जाएगा।

१.२.३ विभाग/ निजी संस्थान द्वारा अधिग्रहित भूमि का उपयोग अधिग्रहण के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोजन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य प्रयोजन के लिए एक निश्चित कालावधि के भीतर करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर

अधिग्रहित भूमि का उपयोग, जिन मामलों में ऐसा करना विधि सम्मत हो, उसके मूल प्रयोजन अथवा राज्य शासन द्वारा निर्देशित किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

१.२.४ जिन मामलों में किसी परियोजना के लिए आबादी/ आवासीय भूमि भी अधिग्रहित हो, उनमें परियोजना के क्षेत्र के समीप वैकल्पिक सुनियोजित बसाहट का प्रावधान पुनर्वास योजना में ही किया जाएगा। वैकल्पिक बसाहट में मूलभूत आवासीय, व्यवसायिक तथा वाणिज्यिक सुविधाएं निर्मित की जाएगी जो मूल बसाहट के समकक्ष या उससे बेहतर होंगी।

१.२.५ पुनर्वास योजना में कमजो वर्गो तथा अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस हेतु ऐसे व्यक्तियों, जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा ४ के तहत प्रकाशित अधिसूचना की तारीख के न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व से शासकीय भूमि पर रह रहे हों अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में वर्ष १९९० के पूर्व से शासकीय भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हो, को भी पुनर्वासित किया जाएगा।

१.२.६ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थापित नई बसाहटों में अधोसंरचना निर्माण/ विकास कार्य कराने हेतु राज्य शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि नई बसाहटों में मूलभूत तथा नागरिक सुविधाएं पहले से बेहतर बनाई जा सकें।

१.२.७ व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण से प्रभावित ऐसे परिवारों, जिनकी ७५ प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित हो, के न्यूनतम एक सदस्य को उसकी अर्हतानुसार परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

१.२.८ परियोजना से प्रभावित परिवारों को उनकी मूल स्थिति से बेहतर स्थिति में लाने के लिए उपर्युक्त के अतिरिक्त शासन के हितग्राही मूलक योजनाओं, जिनमें स्वरोजगार की योजना भी शामिल होगी, का लाभ दिया जाएगा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएंगी।

१.२.९ परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण तथा पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही साथ-साथ की जाएंगी।

१.२.१० पुनर्वास परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करने और प्रभावित व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध कराने के सतत पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग की व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियॉं गठित की जाएंगी।

२. <u>परिभाषाएं</u> :-

२.१ (क) ग्राम का साधारणतया निवासी व्यक्ति :- ग्राम के साधारणतया निवासी व्यक्ति से तात्पर्य ग्राम में निवास करते हुए कृषि कार्य (स्वयं की भूमि पर या अन्य की भूमि पर कृषि या मजदूरी) करने वाले या कोई व्यापार- व्यवसाय करने वाले या कारीगरी, शिल्पकारी यो सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति से है।

(ख) विस्थापित व्यक्ति :- विस्थापित व्यक्ति से अभिप्रेत ऐसे किसी व्यक्ति से है जो उस क्षेत्र में, जिसकी किसी परियोजना के लिए आवश्यकता है, भू-अर्जन अधिनियम की धारा-४ के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से साधारणतया रहता है तथा कोई व्यापार धंधा, या आजिविका के लिये कार्य करता रहा है, या कम से कम तीन वर्ष पूर्व से निजी भूमि पर काश्त करता रहा है।

(ग) विस्थापित परिवार :- विस्थापित परिवार में शामिल हैं कोई विस्थापित व्यक्ति, उसकी पत्नि या पति तथा नाबालिग बच्चे और विस्थापित व्यक्ति पर आश्रित वृद्ध माता-पिता, विधवा मां या बहन तथा अविवाहित पुत्री।

स्पष्टीकरण :- विस्थापित व्यक्ति के बालिग पुत्र को, जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख को बालिग हो गया है, एक परिवार के रूप में माना जाएगा।

(घ) भूमिहीन कृषि :- भूमिहीन कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई कृषि भूमि न हो और वह किसी किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि पर कृषि करता हो।

(ड.) छोटा कृषक :- छोटे कृषक से तात्पर्य ऐसे कृषक से है जो स्वयं की भूमि स्वामी स्वत्व की कुल दो हेक्टेयर तक असिंचित या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता हो।

(च) सीमान्त कृषक :- सीमान्त कृषक से तात्पर्य ऐसे किसान से है जो स्वयं की भूमिस्वामी स्वत्व की कुल एक हेक्टेयर तक असिंचित या ०.५० हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता हो।

(छ) कृषि मजदूर :- कृषि मजदूर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी अपनी कोई कृषि भूमि न हो और जो अन्य व्यक्ति की कृषि भूमि पर मजदूरी करता हो।

(ज) सेवाभूमि कोटवार :- सेवाभूमि कोटवार से वहीं तात्पर्य है जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता १९५९ में परिभाषित है।

(झ) भूमिहीन परिवार :- भूमिहीन परिवार से तात्पर्य गैर कृषक विस्थापित परिवार से है।

३. <u>भूमि, मकान आदि का अधिग्रहण तथा पुनर्वास</u> :-

३.१ भू-अर्जन अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक प्रयोजन के दायरे में उन परियोजनाओं को माना जाएगा जिन्हें राज्य सरकार इस हेतु मान्यत दे। इनमें अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ पुनर्वास, रक्षा, रेल, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, खनिज उत्पादन जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी।

३.२ परियोजनाओं को सामान्यतः निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा :-

(१) ऐसी परियोजनाएं जिनमें प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्बसाहट आवश्यक न हो;

(२) ऐसी परियोजनाएं जिनमें प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्बसाहट आवश्यक हो।

३.३ परियोजनाओं के लिए आवश्यक निजी भूमि तथा वन भूमि प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की जाएगी। शासकीय राजस्व भूमि का हस्तांतरण/ आवंटन राज्य शासन के तत्समय प्रभावशील स्थाई आदेशों/ निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

३.४ परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित करने के लिए राजस्व भूमि तथा वन भूमि में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, किन्तु वनाच्छादित/ वृक्षारोपण वाली भूमि को यथासंभव अधिग्रहण से मुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा।

३.५ किसी परियोजना के लिए भूमि तथा संपत्ति का अधिग्रहण करते सूय इस नीति के अनुरूप विस्थापितों के पुनर्वास की योजना भी सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

३.६ परियोजना के लिए भू-अर्जन का प्रस्ताव करने वाले विभाग/ संस्थान द्वारा विस्थापित व्यक्तियों का इस नीति के अनुरूप पुनर्वास करने के लिए एक पुनर्वास योजना बनाई जाएगी और अनुमोदित पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वज़रा निर्धारित किए गए प्रारूप में विभाग/ संस्थान तथा जिला कलेक्टर के मध्य से मेमोरंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एमओयू) हस्ताक्षर किया जाएगा।

३.७ एमओयू के प्रावधानों के अनुरूप विस्थापन कार्य की मानिटरिंग/ निगरानी इस प्रयोजन हेतु गठित जिलो स्तरीय तथा राज्य स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा की जाएगी।

३.८ किसी परियोजना के लिए भू-अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विस्थापित व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र विधि सम्मत मुआवजा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए परियोजना क्षेत्र में सभी संबंधित भू-अभिलखों को एक कार्यक्रम बनाकर अद्यतन किया जाएगा।

३.९ शासकीय राजस्व भूमि तथा वन भूमि के अतिक्रमक को भी पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए पात्र माना जाएगा, बशर्ते कि उसका राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति देने की तारीख के कम से कम ३ वर्ष पूर्व से शासकीय भूमि पर सतत आधिपत्य रहा हो।

३.१० ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की ७५ प्रतिशत भूमि अधिग्रहित की गई हो, या किसी ग्राम का अन्तः क्षेत्र पानी से घिर जाए, वहां यदि प्रभावित व्यक्ति ऐसा चाहें तो संबंधित विभाग/ परियोजना द्वारा ऐसे क्षेत्रों की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहित करने का प्रयास किया जाएगा।

३.११ विस्थापित होने वाले परिवारों को उनके निवास हेतु प्लाट या मकान दिया जाएगा जिसके लिए आवश्यक भूमि का चयन भू-अर्जन की योजना तैयार करते समय किया जाएगा। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन करते समय

ही पुनर्वास योजनानुसार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक भूमि भी साथ-साथ अर्जित की जाएगी।

३.१२ भूमिहीन व्यक्तियों को भी यथा संभव परियोजना क्षेत्र के आसपास ही बसाया जाएगा ताकि वे परियोजना के क्षेत्र में विकास का लाभ अपने जीवन यापन हेतु कर सके।

३.१३ विस्थापितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इस हेतु प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को पात्रता तथा अर्हता के अनुसार परियोजना में अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी।

४. <u>अधिग्रहित संपत्ति का मुआवजा</u> :-

४.१ भूमि का मुआवजा :-

४.१.१ जिन विस्थापित कास्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जाती है, उन्हें :-

(क) राज्य शासन की परियोजनाओं के मामलों में शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर निजी भूमि के बदले शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा संभव न होने पर भूमि के बदले मुआवजा दिया जाएगा।

(ख) निजी संस्थानों की परियोजनाओं के मामलों में अधिग्रहित निजी भूमि के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

४.१.२ शासकीय अतिक्रमित भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। किन्तु जिलो स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में १९९० के पूर्व के अतिक्रामकों को भूमि आवंटित की जा सकेगी।

४.१.३ डूब से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की कीमतें प्रायः दबी हुई रहती हैं। अतएव ऐसी परियोजनाओं के डूब क्षेत्र के लिए अर्जित की जाने वाली कृषि भूमि, आबादी प्लाटो आदि का मुआवजा समीपवर्ती सिंचाई क्षेत्रा (कमान्ड) की भूमि के क्रय-विक्रय के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

४.१.४ नगरीय आबादी प्लाटों तथा अन्य नगरीय भूमि का मुआवजा डूब क्षेत्र के बाहर निकटवर्ती क्षेत्र में इसी आकार की नगरीय भूमि की औसत बिक्री दरों को आधार मान कर निर्धारित किया जाएगा।

४.१.५ सुदूर स्थित क्षेत्रों में और विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अधिग्रहित किए जाने वाली भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के आंकलन के लिए भूमि के क्रय-विक्रय के पर्याप्त व वर्तमान कालावधि के आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। अतएव जिन मामलों में भू-अर्जन अधिनियम के तहत परिगणित मुआवजा **राशि रूपये एक लाख प्रति एकड़** से कम बनती है, ऐसे मामलों में -

(क) वाणिज्यिक तथा औद्योगि परियोजनाओं के विस्थापित भूस्वामियों को, भू-अर्जन अधिनियम के तहत् निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त इतनी राशि और भुगतान की जाएगी कि उसे प्राप्त होने वाली कुल राशि असिंचित

(पड़त) भूमि हेतु रूपये ५०,०००/- प्रति एकड़, एक फसली भूमि हेतु रूपये ७५,०००/- प्रति एकड़ एवं सिंचित (दो फसली) भूमि हेतु रूपये एक लाख हो जाय।

(ख) शासकीय परियोजनाओं के विस्थापित भूस्वामियों को, जिन्हें भूमि के बदले भूमि प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा, उनकी अधिग्रहित भूमि के लिए न्यूनतम ३०,००० रूपये प्रति एकड़, असिंचित (पड़त) भूमि हेतु रूपये ४५,०००/- प्रति एकड़ एक फसी भूमि के लिए तथा रूपये ६०,०००/- प्रति एकड़ सिंचित (दो फसली) भूमि के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

४.१.६ विस्थापित कोटवार की सेवा भूमि के बदले उसे सेवा भूमि के बाजार मूल्य के बराबर धनराशि एक मुश्त उपलब्ध कराई जाएगी।

४.२ वृक्षों का मुआवजा :- अधिग्रहित निजी भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों का मूलय उनसे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय एवं लकड़ी के मूल्य, आदि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य वृक्षों का मूल्य अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों की लकड़ी के मूल्य के आधार पर आंका जाएगा।

४.३ मकान एवं अन्य संपत्ति का मुआवजा :-

४.३.१ अन्य संपत्तियों, जैस मकान, कुआं, निजी बाड़ी, अन्य निर्माण जैसी संपत्ति का मूल्य उसे वैसी ही हालत में फिर से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यय के बराबर आंका जाएगा।

४.३.२ अतिक्रमित विस्थापितों के मामलों में केवल अतिक्रमित भूमि पर बने मकानों के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा। किन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर वर्ष १९९० के पूर्व के अतिक्रामकों से प्राप्त की गई भूमि पर के अन्य निर्माण कार्यो के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा।

५. <u>विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन</u> :-

५.१ जिस विस्थापित परिवार की जोत की ५० प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित की जाती है, उन्हें शासकीय भूमि की उपलब्धता के अनुसार परियोजना के आसपास भूमि आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा।

५.२ शासकीय परियोजनाओं के जिन मामलों में मुआवजे के बदले भूमि आवंटन किया जाता है, उनमें भूमि विकास के लिए रूपये १०,००० (दस हजार) प्रति एकड़ की दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

५.३ आवंटित भूमि में कुआं, नलकूप या अन्य साधनों से सिंचाई के लिए विस्थापित परिवारों को शासन द्वारा विद्यमान योजनाओं के तहत सहायता दी जाएगी। यदि नई भूमि ऐसे स्थान पर स्थित है, जहां सिंचाई सुविधा न होने के तथ्य को

कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए, वहां शासन की विद्यमान योजनाओं के तहत सहायता दी जाएगी।

५.४ कोटवार को भूखण्ड आवंटन एवं अन्य सुविधाएं अन्य विस्थापितों की भांति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

६. <u>विस्थापितों को भूखण्ड आवंटन</u> :-

६.१ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विस्थापित परिवार को निम्नानुसार निःशुल्क वैकल्पिक भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा :-

(१)	भूमिहीन परिवार	३०० वर्गमीटर
(२)	लघु/ सीमान्त कृषक परिवार	४५० वर्गमीटर
(३)	अन्य कृषक परिवार	६०० वर्गमीटर

६.२ नगरीय विस्थापित परिवारों का पुनर्वास नए नियोजित नगरीय क्षेत्रों में किया जाएगा। इस कार्य के पूर्व स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत) से परामर्श लिया जाएगा। जहां आवश्यकता हो, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल या किसी अन्य एजेन्सी से भूखण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण के लिए विशेष योजनाएं हाथ में ली जाएंगी।

६.३ नगरीय क्षेत्रों के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित आकारों के भूखण्ड बनाए जाएंगे :-

(१) कम आय वर्ग ९५ वर्गमीटर

(२) अल्प आय वर्ग १४० वर्गमीटर

(३) मध्यम आय वर्ग २८० वर्गमीटर

(४) उच्च आय वर्ग ४२० वर्गमीटर

६.४ किसी विस्थापित परिवार को आय के आधार पर उपर्युक्त विनिर्दिष्ट न्यूनतम आकार के भूखण्ड अथवा उसके अर्जित किए गये भूखण्ड के आकार के आधार पर भूखण्ड की पात्रता होगी। इस अवधारणा के अंतर्गत विस्थापित परिवार को उसके विद्यमान भूखण्ड के आकार से बड़े आकार का वह भूखण्ड पाने की पात्रता होगी जो कि उपरोक्त ४ प्रकार के मानक भूखण्डों में आता हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित वर्तमान भूखण्ड का आकार २०० वर्गमीटर है तो उसे नये स्थल पर २८० वर्ग मीटर का भूखण्ड पाने की पात्रता होगी।

६.५ यदि कोई विस्थापित परिवार उपरोक्त पात्रता के अनुसार मिलने वाले भूखण्ड से बड़े आकार के भूखण्ड चाहे तो उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त मूल्य भुगतान कर प्राप्त कर सकेगा।

६.६ सभी वर्ग के भूखण्डों की मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया एक समान होगी। मूल्य का निर्धारण वास्तविक व्यय के आधार पर होगा। यदि नए भूखण्ड की दर विस्थापितों से अधिग्रहित भूखण्ड के मुआवजे की दर से अधिक हो तब अंतर की राशि परियोजना द्वारा दी जाएगी।

६.७ नए स्थान में भूखण्ड आवंटन हेतु " एक परिवार एक भूखण्ड" का सिद्धान्त अपनाया जाएगा।

६.८ नए भवन निर्माण हेतु हुडको एवं अन्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाएगा।

६.९ जिन विस्थापित परिवारों के वाणिज्यिक/ व्यवसायिक भवन अधिग्रहित हों, उन्हें परियोजना द्वारा विस्थापितों के लिए नई बसाहटों में आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक/ व्यवसायिक भूखण्ड विकसित कर " कोई लाभ नहीं, हानि नहीं" के आधार पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

६.१० यथा संभव नवस्थापित आदर्श ग्राम एवं आदर्श नगरों का नाम पुराने ग्राम एवं नगरों के नाम पर ही किया जाएगा ताकि भावनाओं को बनाया रखा जा सके। नाम के आगे केवल नया (न्यू) शब्द जुड़ जाएगा, जैसे रामनगर में न्यू रामनगर।

७. <u>रोजगार एवं अन्य सुविधाएं</u> :-

७.१ रोजगार :- समस्त ऐसे परिवार जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाएगी, ऐसे प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को उस परियोजना में अर्हता अनुसार रोजगार दिया जाएगा।

अः- परियोजना के कार्यो पर रोजगार देते समय प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी।

बः- शिक्षित नवयुवकों को रोजगार देने के विशेष प्रयास किये जावेंगे।

सः- शासन के श्रेणी-३ के पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में २ वर्ष की छूट दी जावेगी।

दः- विस्थापित परिवारों को लाभजनक कार्य उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने हतु उन्हें प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इः- डूब से प्रभावित क्षेत्रों में मछुआरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

७.२ विस्थापित परिवारों के ऐसे सदस्यों को जिन्हें परियोजना में रोजगार प्राप्त करने की पात्रता हो, किन्तु वे रोजगार पाने के लिए न्यूनतम अर्हता नहीं रखते है तो वृहद परियोजनाओं के मामलों में संबंधित संस्थान द्वारा राज्य शासन की उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हुए अथवा स्वतंत्र रूप से, जो भी संभव हो, समुचित प्रशिक्ष्ज्ञण की व्यवस्था की जाएगी। अन्य मामलों में शासन के संबद्ध विभागों का ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

७.३ शेष विस्थापितों और विशेष कर भूमिहीन विस्थापित परिवारों को शासन के संबंधित विभागों द्वारा नए कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा छोटे कार्यो में रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। परियोजना से उत्पन्न रोजगार के नए उपलब्ध अवसरों ऐसे व्यक्तियों को कार्य दिया जाएगा।

७.४ परियोजना से प्रभावित विस्थापितों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार मूलक कार्यक्रमों में लाभान्वित किया जाएगा एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।

७.५ प्रभावित परिवारों को डेयरी विकास हेतु चिन्हित कर यथासंभव लाभान्वित किया जाएगा।

७.६ विस्थापितों को शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं में रोजगार देने में प्राथमिकता देने के विधि सम्मत प्रावधान किए जाएंगे।

७.७ परियोजना के क्षेत्र में कार्यरत स्व सहायता समूहों को उद्योग स्थापना से निर्मित होने वाले कार्य कलापों/ गतिविधियों में जोड़ने के लिए पहल की जाएगी। इस हेतु संबंधित विभाग /संस्थान द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन /प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए कदम उठाए जाएंगे।

८. <u>विस्थापितों को विविध सहायता</u> :-

८.१ प्रत्येक विस्थापित परिवार को रूप्ये ११,००० (रूपये ग्यारह हजार) की एक मुश्त सहायक राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी जिसे समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

८.२ पुर्नस्थापन योजना अनुसार विस्थापित परिवारों तथा उनके मवेशियों को अधिग्रहित क्षेत्र से नई जगह पर ले जाने का कार्य जिला प्रशासन की देख रेख

में संपादित किया जाएगा, जिस पर होने वाले व्यय का वहन परियोजना द्वारा किया जाएगा। यदि विस्थापित परिवार परियोजना द्वारा की गई परिवहन व्यवस्था का लाभ प्राप्त नहीं करता है, तो उसे रूपये १००० (रूपये एक हजार) की राशि का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा जिसे समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

८.३ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापितों के लिए नई बसाहट के क्षेत्र में सार्वजनिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन की सुसंगत योजनाओं के तहत् प्राथमिकता पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

८.४ नगरीय क्षेत्रों के ऐसे विस्थापित, जो मूल स्थान पर अपना व्यवसाय/ व्यापार किराए के भवन में कर रहे हों, को नई नगरीय बसाहटों में बनी दुकानों को किराए पर देने में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विस्थापितों व्यक्ति जो व्यवसायिक भूखण्ड पाने के इच्छुक हों, उन्हें निर्धारित शतोर्ं पर उचित भूखण्ड/ दुकान उपलब्ध करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

८.५ जो व्यक्ति मात्र कब्जेदार है उसे, पुनर्बसाहट की स्थिति में, नई बसाहट में आबादी जमीन दी जायेगी और साथ में पुनर्वास अनुदान भी दिया जायेगा बशर्ते वह धारा ४ की अधिसूचना के प्रकाशन के कम से कम तीन वर्ष पूर्व या वैध किरायेदार के रूप में न्यूनतम एक वर्ष पूर्व से रह रहा हो।

८.६ विस्थापित परिवारों में से यदि कोई स्वरोजगार हेतु उद्योग स्थापित करना चाहें तो उन्हें निकटस्थ औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

८.७ प्रभावित क्षेत्रों के समीप क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में वाणिज्यिक भू-खण्ड, दुकाने, इत्यादि के आवंटन में प्रभावित परिवारों को समुचित प्राथमिकता दी जावेगी।

८.८ विभिन्न गतिविधियों के लिए पुनर्बसाहट हेतु स्थापित नए नगरीय क्षेत्रों का नियोजन करते समय अनौपचारिक मांग, प्रकार, सुविधा, उपयोगिता, दूरी एवं आवागमन के साधनों आदि पर यथाचित ध्यान दिया जाएगा।

८.९ डूब/विस्थापित क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, पुरातत्व महत्व के स्थल आदि के एवज में नये क्षेत्रों में उनके नवनिर्माण तथा कब्रगाह व दाह संस्कार हेतु स्थल के लिए आवश्यक प्रावधान रखा जाएगा।

८.१० विस्थापितों को परियोजना के अस्पताल में चिकित्सा सुविधा तथा स्कूलों में उनके बच्चों को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

८.११ अनुसूचित क्षेत्रों में जीवन निर्वाही अर्थ-व्यवस्था बनी हुई है। विकास के दीर्घकालीन आयोजन में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता बनी रहे।

८.१२ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विस्थापित परिवारों को जो सुविधाएं फिलहाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के कार्यक्रमों के अंतर्गत मिल रही है, उन्हें नई जगह पर यथावत रखा जावेगा।

९. <u>सलाहकार समितियां</u> :-

९.१ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन की पुनर्वास योजना का अनुमोदन संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा भू-अर्जन के लिए अनुमति देते समय किया जाएगा।

९.२ विकास परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन की पुनर्वास योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग निम्नलिखित समितियां द्वारा की जाएगी :-

९.२.१ ऐसी परियोजनाएं, जिनकी लागत रूपये १०० करोड़ से अधिक हो, का राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा तथा

९.२.२ ऐसी परियोजनाएं, जिनकी लागत रूपये १०० करोड़ से कम हो, का जिला स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा।

९.३ राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय पुनर्वास समितियों का गठन परिशिष्ट-एक अनुसार किया जाएगा।

१०. <u>पुनर्वास योजना की रूपरेखा, अनुमोदन की प्रक्रिया, आदि</u> :-

१०.१ शासकीय परियोजनाओं के मामलों में संबंधित प्रशासकीय विभाग तथा निजी संस्थानों की परियोजनाओं के मामलों में संबंधित संस्थान द्वारा तैयार किये जाने वाले परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना की रूपरेखा एक अलग अध्याय के रूप में शामिल की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिशिष्ट-दो में उल्लेखित विवरण होंगे।

१०.२ यथास्थिति, शासकीय विभाग या निजी संस्थान अपने पुनर्वास योजना सहित भू-अर्जन प्रस्ताव औद्योगिक परियोजनाओं के मामलों में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड/जिला निवेश प्रोत्साहन समिति के कार्यालय में तथा अन्य परियोजनाओं के मामलों में शासन के संबंधित विभाग/ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

१०.३ राज्य शासन का संबंधित प्रशासकीय विभाग पुनर्वास योजना की रूपरेखा का परीक्षण करेगा और यह देखेगा कि पुनर्वास योजना आदर्श पुनर्वास नीति के अनुरूप तैयार की गई है और उसमें आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं का समावेश किया गया है। परीक्षण उपरांत, और यदि आवश्यक हो तो, प्रस्तुत की गई पुनर्वास योजना को आदर्श पुनर्वास नीति के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक संशोधन कराने के उपरांत, पुनर्वास योजना का संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

१०.४ जिन मामलों में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण आबादी की पुनर्बसाहट आवश्यक हो, उनमें जिला कलेक्टर द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा ४ के तहत अधिसूचना जारी करते समय प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना भी सर्वसाधारण की सूचना के लिए संबंधित स्थानीय संस्था (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका निगम) को उपलब्ध कराई जाएगी, जो उन्हें सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेंगे।

१०.५ उपर्युक्त पैरा-१०.४ के अनुसार प्रकाशित पुनर्वास योजना का प्रकाश होने पर प्रभावित व्यक्ति संबंधित जिले के कलेक्टर को सुझाव दे सकेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त सुझावों का आदर्श पुनर्वास योजना के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखकर समिति के सुझाव भी प्राप्त किये जाएंगे।

१०.६ उपर्युक्त पैरा १०.५ के तहत प्राप्त सुझावों और अपने अभिमत के साथ कलेक्टर पुनर्बसाहट योजना को संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजेगा। निजी संस्थान की परियोजना की स्थिति में कलेक्टर राज्य शासन को भेजे गये अभिमत की एक प्रति निजी संस्थान को भी उपलब्ध कराएगा।

१०.७ प्रभावित व्यक्तियों तथा जिला स्तरीय समिति से प्राप्त सुझावों तथा जिला कलेक्टर के अभिमत पर विचारोपरांत संबंधित प्रशासकीय विभाग विभागीय परियोजना के मामले में स्वयं तथा निजी संस्थान भी परियोजना के मामले में संबंधित निजी संस्थान से पुनर्वास योजना में समुचित संशोधन करेगा/ कराएगा और यथा

संशोधित पुनर्वास योजना पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत उसकी एक प्रति जिला कलेक्टर को भेजेगा।

१०.८ पुनरीक्षित पुनर्वास योजना प्राप्त होने पर कलेक्टर भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाहियां करने के लिए अग्रसर होगा और भू-अर्जन अधिनियम/ नियमों का पालन करते हुए भू-अर्जन सम्पन्न करेगा।

१०.९ भू-अर्जन की कार्यवाही के प्रचलन के दौरान प्रभावित ग्राम/ग्रामों के निवासियों अथवा उनके संगठनों द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर उन्हें चाही गई जानकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। यदि किसी कारण से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हो, तो आवेदक को उसक कारण संसूचित किया जाएगा।

१०.१० राज्य अथवा संघ के किसी कानून के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि के आवश्यक होने संबंधी घोषणा तथा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं/ सूचनाओं का प्रकाशन विधि में विहित स्थानों के अतिरिक्त संबंधित स्थानीय निकायों/ ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर भी किया जाएगा।

१०.११ जिन मामलों में आबादी भूमि प्रभावित होती हो और पुनर्बसाहट आवश्यक हो, पुनर्बसाहट की योजना प्रभावित व्यक्तियों से परामर्श करके तैयार की जाएगी। पुनर्बसाहट योजना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा

कि प्रभावित व्यक्ति आबादी के अधिग्रहण के कम से कम एक वर्ष पूर्व नई बसाहट में पुनर्वासित हो जाएं।

१०.१२ पुनर्वास योजना से संबंधित विवादों, यथा हितधारी व्यक्ति की पहचान, उन्हें मिलने वाले फायदे आदि, का निराकरण यथासंभव जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी।

१०.१३ बार-बार विस्थापन नहीं किया जाएगा और यदि अपवाद स्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो तो ऐसा करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

११. <u>कतिपय परियोजनाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान</u> :-

विभिन्न परियोजनाओं की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऊपर बताए गए सिद्धान्तों और कार्यवाहियों के दायरे को प्रभावित किये बिना, कुछ विशिष्ट श्रेणियों की परियोजनाओं और उनकी प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएगा :-

११.१ सिंचाई/ पनबिजली परियोजनाएं :-

११.१.१ जहां संभव होगा वहां जलाशय और उससे लग हुए क्षेत्र के सघन विकास की योजना बनाई जाएगी जिसमें उद्वहन सिंचाई के आधार पर कृषि और वृक्ष कृषि,

मत्स्य आखेट, कार्यक्रमों का समावेश कर उस अंचल की धारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

११.१.२ जलाशयों में पानी घटने पर उनसे निकलने वाली जमीन का अस्थाई आवंटन अपनी जमीन खोने वाले प्रभावित व्यक्ति को व्यक्तिगत खेती के लिए प्रथमिकता पर किया जाएगा। प्रभावित व्यक्तियों की सहकारी समिति को मत्स्याखेट के मामले में प्राथमिकता व उचित रियायत दी जाएगी।

११.१.३ परियोजना निर्मित होने पर डूब क्षेत्र की ऐसी भूमि, जो वर्षा ऋतु के बाद स्वतः पानी से खाली हो जाती है, विस्थापित व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आवंटित की जाएगी।

११.१.४ यदि डूब क्षेत्र के लोगों को दी जा रही भूमि में उस सिंचाई परियोजना की नहरों से सिंचाई नहीं की जा सकती हैं, तो उनकी भूमि की सिंचाई के लिए यथासंभव पृथक से योजना तैयार कर सिंचाई व्यवस्था की जाएगी।

११.२ <u>औद्योगिक/ खनिज उत्पादन परियोजनाएं</u> :-

११.२.१ वृहद औद्योगिक, विद्युत उत्पादन और उत्खनन परियोजनाओं के मामले में संबंधित परियोजना के प्रभाव क्षेत्र को रेखांकत किया जाएगा। परियोजना के प्रस्तावक संस्थान के लिए यह जरूरी होग कि वे स्थानीय आवश्यकतानुसार परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्व्यन करें।

इस हेतु संबंधित संस्थान तथा राज्य शासन के प्रशासकीय विभाग के मध्य परियोजना तथा परियोजना क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हुई सहमति अनुसार प्रतिवर्ष संस्थान के शुद्ध लाभ का एक निर्धारित प्रतिशत, जो आवश्यकतानुसार एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक होगा, आवंटित/ व्यय किया जाएगा।

११.२.२ परियोजना से प्रभावित कृषकों के मामले में अनियमित, आकस्मिक रोजगार या मजदूरी के रूप में काम के अवसरों को जिंदगी बसर करने का वैकल्पिक आधार पर अथवा रोजगार साधन नहीं माना जाएगा। परियोजना के नियमित पदों में राज्य की औद्योगिक नीति में राज्य के अर्हताप्राप्त निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने संबंध में प्रावधानों के अनुपालन हेतु निम्नानुसार प्राथमिकताएं रखी जाएगी:-

(क) परियोजना से प्रभावित व्यक्ति

(ख) परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के निवासी अन्य व्यक्ति

(ग) राज्य में निवास करने वाले अन्य व्यक्ति

११.२.३ कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट - १९५७ एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा २४ तथा भू-अर्जन अधिनियम के तहत जिन भूमि-स्वामियों की भूमि अर्जित की जाती है, यदि उन्हें औद्योगिक/ खनन परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले संस्थान द्वारा भू-अर्जन के २ वर्ष की कालावधि के भीतर (पहले

योजना के निर्माण कार्यो में तथा परियोजना के चालू हो जाने के बाद परियोजना में) रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संस्थान द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों को बगैर काम के ही उनकी अर्हता के अनुरूप रोजगार से प्राप्त होने वाली राशि के समतुल्य राशि भुगतान की जाएगी।

११.२.४ उपजाऊ मिट्टी, एल्यूवियल सोयल, रेत जैस लघु खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में तो कृषि एवं प्लांटेशनों के माध्यम से वहां के रहवासियों को आय के बहुत अच्छे स्त्रोत उपलब्ध है और ऐसे क्षेत्र आर्थिक विकास में बहुत आगे हैं। किन्तु कोयला और आयरन ओर जैस मुख्य खनिज धारित क्षेत्रों में खनन कार्य से स्थानीय रहवासियों, और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में रहवासियों, को खनिजों की उत्पादन योजनाओं से बहुत ही कम लाभ मिल पाया है। कोयला और आयरन ओर खानें राज्य के अत्यंत गरीब और पिछड़े अनुसूचित जनजाति बहूल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। अतएव गैर-कैप्टिव्ह नई खनन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन/पुनर्स्थापन प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत की जाने वाली पुनर्वास योजनाओं में यह प्रावधान अनिवार्यतः रखा जाएगा कि नई परियोजना से प्राप्त होने वाले खनिज का आवश्यकतानुसार एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों की कच्चे माल की आवश्यकता की पूति हेतु उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

११.२.५ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लीज समाप्त होने के पश्चात् माईन क्लोजर प्लान के अनुसार खान क्षेत्र की भूमि को यथा संभव उसकी मूल स्थिति में वापस

लाया जाए। इस कार्य के लिए खनन कम्पनी अपनी आय का समुचित हिस्सा एक पृथक रिजर्व फंड (रेस्टोरेशन फंड) के रूप में रखें।

११.२.६ चूंकि कोयला और लौह अयस्क का अधिकांश खनन कार्य भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा किया जाता है, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के खनन कम्पनियों को राज्य की पुनर्वास नीति का पालन करने के लिए कहें और आवश्यक होने पर इस हेतु केन्द्रीय कानूनों में आवश्यक संशोधन करें। पुनर्वास नीति के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु, आवश्यक होने पर संविधान की अनुसूची-पांच द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य के रेगुलेशन्स बनाए जा सकेंगे।

११.३ <u>अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान परियोजना</u> :-

११.३.१ अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन सहित वन संसाधनों के विकास और उपयोग कि नियोजन में उन पर स्थानीय समाज की निर्भरता को खासतौर से आदिवासी समाज के उनसे परस्पर पोषक संबंधों को आधारभूत माना जाएगा। इस मामले में सबंधित नागरिकों और उनकी अर्थव्यवस्था के बार में तथ्यों का लिखित रूप में उपलब्ध होना या न होना, उनकी औपचारिक मान्यता होना या न होना उससे संबंधित अद्यतन कानूनी स्थिति से किसी तरह की विसंगति, इत्यादि का कोई असर नहीं होगा।

११.३.२ इन परियोजनाओं में विस्थापितों की परंपराओं के अनुरूप सभी के लिए समुचित जीवन यापन के लिए व्यवस्था और पूरे वर्ष के कामकाज के लिए योग्य सभी व्यक्तियों के लिए एक विशेष रोजगार आश्वासन की योजना बनाई जाएगी। विस्थापन योजना का यह उद्देश्य होगा कि वन में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा उसके पर्यावरणीय आकार को नुकसान पहुंचाए बिना बेहतर जीवनयापन की उनकी आकांक्षा पूरी करने में सक्षम आधार बनाया जा सके।

१२. <u>विविध</u> :-

१२.१ भू-अर्जन के मामले निर्णित करने हेतु विशेष भू-अर्जन न्यायालय स्थापित किये जायेंगे ताकि भू- अर्जन के मामले वर्षो तक न्यायालयीन प्रक्रिया में न उलझे रहें।

१२.२ किसी शासकीय परियोजना के लिए भू-अर्जन /हस्तांतरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी भूमि जो अधिग्रहण के बाद १० वर्ष तक उपयोग में नहीं लायी जाती है, वह भूमि राजस्व विभाग को स्वमेव वापस हो जाएगी और राजस्व विभाग राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उसका अन्य प्रयोजनों के लिए आवंटन या हस्तांतरण कर सकेगा।

१२.३ पुनर्वास योजना से संबंधित समस्त खर्चो का वहन परियोजना का क्रियान्व्यन करने वाले शासकीय विभाग या निजी संस्थान, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा परियोजना में शामिल करते हुए वहन किया जाएगा।

१२.४ राजधानी परियोजना क्षेत्र की पुनर्वास योजना पृथक से बनायी जाएगी।

- - ० - -

<u>परिशिष्ट - एक</u>

राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुनर्वास समितियां निम्नानुसार गठित की जाएंगी :-

(१)	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति :-

१.		
२.	नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
३.	वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
४.	पुनर्वास विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
५.	राजस्व विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
६.	विधि विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
७.	परियोजना के प्रशासकीय विभाग का भार साधक मंत्री	सदस्य
८.	संबंधित जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
९.	राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र से नामांकित सांसद/ विधायक	सदस्य
१०.	मुख्य सचिव	सदस्य
११.	परियोजना के प्रशासकीय विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
१२.	परियोजना के प्रमुख अधिकारी	विशेष आमंत्रित
१३.	राज्य पुनर्वास आयुक्त	सदस्य सचिव

(ब) जिला स्तरीय पुनर्वास समिति :-

१.	जिले के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
२.	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
३.	राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र से नामांकित सांसद/ विधायक	सदस्य
४.	जिन ग्रामों में पुनर्बसाहट की जा रही है वहां का सरपंचगण	सदस्य
५.	परियोजना के प्रशासकीय विभाग का जिला अधिकारी	सदस्य
६.	परियोजना के प्रमुख अधिकारी	विशेष आमंत्रित
७.	जिला कलेक्टर	सदस्य सचिव

<u>परिशिष्ट :- दो</u>

पुनर्वास योजना में, पुनर्वास नीति को किसी भी प्रकार प्रभावित किए बिना, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :-

१. सामान्य :- सभी पुनर्वास योजनाओं के लिए :-

१.१ परियोजना के उद्देश्य, बुनियादी मान्यतायं और कारक, क्रियान्वयन की कालावधि का उल्लेख करते हुए विकास परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा,

१.२ परियोजना क्षेत्र का रेखांकन और उसके प्रभाव क्षेत्र का विवरण,

१.३ परियोजना के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभों का विवरण,

१.४ परियोजना की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष आर्थिक लागत का विवरण,

१.५ भू-अभिलखों के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल, स्वरूप/प्रकार (वन, शासकीय राजस्व, निजी भूमि आदि), वर्तमान उपयोग, किसी भू-भाग पर समाज के सामान्य अथवा किसी वर्ग विशेष कि लिए औपचारिक तथा परंपरागत अधिकारों की प्रकृति का विवरण,

१.६ क्षेत्र में कार्यरत कृषि, व्यवसायिक तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों का विवरण,

१.७ विकास परियोजना के लिए अग्रिहित की जाने वाली भूमि से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण जिसमें ऐसे व्यक्तियों की पहचान, उनके वर्ग तथा व्यवसाय आदि का उल्लेख हो,

१.८ परियोजना के क्रियान्वयन का पर्यावरण पर प्रभाव जिसमें जैविक विविधता, प्रभावित वन, पानी तथा वायु के संबंध में संभावित प्रभावों की प्रकृति का उल्लेख तथा उनसे निपटने के लिए कारगर उपायोग का विवरण हो,

१.९ विस्थापित व्यक्तियों में से परियोजना में रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना,

१.१० प्रभावित व्यक्तियों का कौशल बढ़ाने, प्रशिक्षण देने संबंधी कार्ययोजना,

१.११ परियोजना के क्षेत्र में सामाजिक तथा कल्याणकारी कार्य सम्पादित करने के लिए परियोजना के प्रस्ताव,

२. ऐसी पुनर्वास योजनाएं जिनमें भू-अभिलेख के फलस्वरूप पुनर्बसाहट आवश्यक हो :- इन परियोजनाओं के लिए उपर्युक्त सामान्य प्रावधानों के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण दिया जाएग :-

२.१ विस्थापन की अनिवार्यता के बार में स्पष्ट वक्तव्य,

२.२ विस्थापित होने वाले प्रभावित व्यक्तियों की वर्गवार पहचान,

२.३ विस्थापित की पुनर्बसाहट के लिए पुनर्वास नीति के अनुरूप कार्ययोजना जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो :-

(क) पुनर्बसाहट हेतु भूमि चयन,

(ख) पुनर्वासित किये जाने वाले व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटन के प्रस्ताव,

(ग) पुनर्वासित किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था का विवरण।

२.४ ऐसे व्यक्तियों जिनके बारे में फिर से विस्थापन की संभावना हो, यदि कोई हों तो, के मामले में फिर से विस्थापन की अनिवार्यता के बारे में स्पष्ट वक्तव्य और उसके लिए प्रस्तावित कार्यक्रम,

३. **कतिपय योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान :-** सिंचाई/पनबिजी परियोजनाओं, औद्योगिक/ खनिज उत्पादन परियोजनाओं, अभ्यारण/ राष्ट्रीय उद्यान परियोजनाओं आदि के मामलों में पुनर्वास योजना में उपर्युक्त पैरा 1 व २ के अतिरिक्त इस नीति के खण्ड ११ के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त सुस्पष्ट विवरण अंकित किए जाएंगे।

००